

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन सचिव, छ0ग0 शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// सार्वजनिक सूचना //

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2018-19 ::

गरियाबंद, दिनांक 15/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित ग्राम धुंगियामुड़ा प0ह0नं0 09 तहसील देवभोग जिला गरियाबंद (छ0ग0) की निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन यथा:- उरमाल जलप्लावन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य के लिये आवश्यकता है। अतएव राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016" के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद के पक्ष में क्रय किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

(क्रय की जाने वाली भूमि/भू-धारकों का विवरण)


स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता या पति का नाम	क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (06)
		खसरा	रकबा	प्रभावित रकबा	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	उरमाल जलप्लावन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण
01.	खामसिंह, भागीरथी, संतरा बाई पिता मोहनसिंह दुतिका बाई पति मोहनसिंह	436	0.39	0.13	
02.	मानसिंह, जीवनलाल, अमरलाल, कमलसिंह, डोमारसिंह, कुन्तला पिता रनसाय	244, 246	0.20, 0.06	0.10	
03.	देवीनंद, अतबल, रंजीत, उर्वशी पिता दिरजो वरुणा बाई बेवा दिरजो, तिलचंद, जयधर बेलमति पिता पुरन, खरोबाई बेवा पुरन	431	1.79	0.13	
04.	अमरलाल पिता रनसाय	247	0.06	0.05	
05.	मानसिंह पिता रनसाय	248	0.05	0.04	
06.	श्यामलाल पिता हलोराम, जमैबाई पति हलोराम	188	0.36	0.10	
07.	टिको पिता श्यामसिंह	186/2	1.08	0.10	
08.	धनसिंह पिता रामसिंह	186/1	0.53	0.22	
09.	लक्ष्मीधर पिता धनसिंह	315/1	0.57	0.08	
10.	पदुनाथ पिता बनसिंग	179	0.08	0.01	
11.	मुकुन्द पिता जयमन	173/1	6.08	0.25	
12.	रजकी पति रघु	177/1, 178, 317/3, 338	0.25, 0.05, 0.44, 0.05	0.26	
13.	रायबल, पांचोबाई, हेमाबाई, लैबनी, निलेन्द्री पिता मनबोध, जमैबाई बेवा मनबोध, खगेश्वर, धनेश्वर, तिलाय पिता नरसिंह, रामबती पिता रामसिंह	162	2.89	0.13	
14.	दुतिया, रूखो पिता बुटी	122	0.38	0.12	


15.	अभीराम, खेमोराम पिता कंदरफ	136	1.39	0.80
16.	खगेश्वर पिता चैतन	145	0.36	0.30
17.	घासीराम पिता चैतन	146	0.36	0.16
18.	दुर्योधन पिता लैखन	289	0.44	0.14
19.	जयचंद पिता रतन	316/2	0.06	0.05
20.	धरमसिंह, गोमती, चमरेन, आसमति, बेलमति पिता प्रहलाद, गुंजो बेवा प्रहलाद	317/6	0.35	0.08
21.	कन्हल पिता डोमू, लोबनी, तुले पिता संतूराम, लयचंद, सुमित्रा पिता रामसिंह	317/5	0.60	0.05
22.	चंदर पिता कान्दरू	317/4	0.70	0.07
23.	टिकमसिंह पिता मारकण्ड	337/2, 344/4, 344/7	0.03, 0.11, 0.44	0.16
24.	उदन पिता दुर्योधन	335/1, 337/1	0.22, 0.24	0.11
25.	नूरतन पिता दुर्योधन	335/2	0.77	0.11
26.	संतराम पिता मारकण्ड	344/5	0.16	0.10
27.	नरसिंह पिता मारकण्ड	344/6	0.36	0.07
28.	जगबन्धु पिता साधु	344/8	0.67	0.20
29.	तिरनसिंह पिता दशरथ	187, 359	0.24, 0.40	0.10
30.	पालेश्वर, प्रेमलाल पिता धरमसिंह, ना. बा. निराकार पिता धरमसिंह पालक भाई पालेश्वर गजमती पति धरमसिंह	357	1.33	0.18
31.	सिरधर पिता पदमन	383/1	0.42	0.21
32.	डिंगर पिता अंतो	376/6, 383/3	0.14, 0.16	0.17
33.	रामेश्वर पिता अंतो	376/3, 383/2	0.62, 0.17	0.23
34.	चैतन पिता रामो	585/3	1.64	0.27
35.	देवानंद पिता जितो	587/3	1.11	0.21

उरमाल  
जलप्लावन  
योजनांतर्गत  
मुख्य नहर  
निर्माण

क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि:- कुल प्रभावित खसरा नंबर 45 कुल प्रभावित रकबा 5.49 हेक्टेयर

02/- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई दावा/आपत्ति हो, तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर आधार सहित लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

  
भू-अंश अधिकारी  
देवभोग

  
(छतर सिंह डेहरे)  
कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ0ग0)  
एवं पदेन सचिव छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग